

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर - 492 002

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 6-42/2012/12 :: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-


संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 38क में,-

- (क) उप-नियम (3) के परन्तुक में, शब्द "एक वर्ष" को शब्द "दो वर्षों" से प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ख) उप-नियम (4) के परन्तुक में, शब्द "एक वर्ष" को शब्द "दो वर्षों" से प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(इफफत्र आरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल, 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ एफ 6-42/2012/12, दिनांक 12 अप्रैल, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(इफफ्त आरा)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

खनिज साधन विभाग

